न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/08/2022	2022/16	18.01.2022	14.06.2022

–उनवान–

1. राजेन्द्र यादव पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कालूका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

उपस्थितः–
01. श्री जनार्दन शर्मा **–वकील प्रार्थी**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान हल्का पटवारी हटूण्डी बनाम राजेन्द्र यादव अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट 1956 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण उनवान हल्का पटवारी हटूण्डी बनाम राजेन्द्र यादव अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट 1956 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 03 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर चारागाह भूमि नहीं है। गलत प्रकार से नोटिस दिया गया है। दिनांक 07.01.2022 को पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी से न्यायालय में बुलाकर जाहिर किया कि उन पर राजनितिक दबाव है। इसलिए प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करेंगे। अप्रार्थी द्वारा गत तारीख पेशी पर खुले न्यायालय में अपने निर्णय का इजहार कर दिया था। इसलिए प्रार्थी को पुरा भय है कि अप्रार्थी राजनितिक दबाव में निष्पक्ष न्याय नहीं कर पायेंगे। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार विवादिज आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 4.15 है0 व विवादित रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह भूमि है। जिसमें प्रार्थी को विधिसम्मत् नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण धारा 91 एलआरएक्ट 1956 के तहत न्याय प्रकिया के अधीन विचाराधीन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस व अप्रार्थी द्वारा पेश टिप्पणी का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट के तहत विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार मुण्डावर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)